न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 473/2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मांगाराम पुत्र स्व0 चेतनराम मेघवाल निवासी– हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव जिला बाडमेर जरिये आ0मु0 कैलाशसिंह 2. कैलाश सिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी– हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव जिला बाडमेर बहैसियत खुद एवं बहैसियत आ0मु0 श्री मांगाराम अपीलान्ट संख्या एक		1. पमूदेवी पुत्री श्री चनणाराम मेघवाल निवासी– गूंगा तहसील शिव जिला बाडमेर। 2. तहसीलदार, शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाक 06.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2016 अनवान पमूदेवी बनाम खीमाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री महेश मेहता, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26 मई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मतूजा उनकी खातेदारी के खसरा नंबर 287/110 रकबा 22.10 बीघा आई हुई है जो विप्रार्थीगण के खेत के सेढासेढ आई हुई है। रेस्पोडेन्ट व अन्य पडौसी खातेदारों के खेतो के बीच में किसी प्रकार की कोई कच्ची/पक्की माते या कोई सीमाचिन्ह नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सेढा बाबत तनाजा व जबरदस्त विवाद रहता है एवं बरसात के समय काश्त में हस्तक्षेप कर भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है जिससे लडाई की आशंका बनी रहती है। इस विवाद से बचने के लिये रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है अतः उक्त खसरान भूमि की नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण खीमाराम, पीथाराम, रायमलसिंह को नोटिस जारी कर तलब किया, परन्तु बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2016 के द्वारा रेस्पोडेन्ड के उक्त खातेदारी खसरान भूमि की नेखमबन्दी करने के आदेश पारित किये जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी
गई। वकील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया
तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का
पेश कर उपरोक्त खसरा की भूमि पर अपीलान्ट व पूर्व खातेदार का 50 वर्षो से
अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा दिनांक 27.03.2012 से जरिये खरीद
की जाने से वह प्रभावित पक्षकार है जिसके कारण उसे अपील पेश करने की
अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक
10.8.2022 को हुई तब उनके द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह न्यायालय
हाजा के समक्ष यह अपील पेश की अतः अपील को अन्दर म्याद मानते हुए
गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु निवेदन किया।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस
में यह भी कथन किया कि ख0सं0 110 रकबा 1215 बीघा आई हुई जो वक्त
बन्दोबस्त तत्कालीन जागीरदार के खातेदारी में दर्ज थी तत्पश्चात उक्त भूमि
सिलिंग एक्ट के तहत राज्य सरकार के हक में अवाप्त कर दी गई। ख0सं0 110
रकबा 1275 बीघा भूमि करीब 21–22 व्यक्तियों को आवंटन कर दी गई थी और
कब्जा सुपुर्द कर दिये गये लेकिन किसी भी वयक्ति को मौके पर नाप–चौक कर
तरमीम नहीं किया और जहां भूमि खाली थी वही आवंटी काबिज हो गये। उक्त
ख0सं0 110 में अपीलान्ट कैलाशसिंह, पीथाराम व अन्य गेरीदेवी, गुमनाराम, पमूदेवी
वगैराह को भी आवंटन हुआ तथा काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। ख0सं0
110 के पास ही ख0सं0 118 स्थित है जो अपीलान्ट को आवंटित ख0सं0
289/110, 280/110, 218 में काश्त करता रहा है एवं ख0सं0 218, 289/110,
280/110 में तारबन्दी कर दी गई।

रेस्पोडेन्ट के द्वारा नेखमबन्दी बाबत किये जाने में यह कथन किया है कि
खरीफ फसल मौसम में अपीलान्टस उनकी अधिक भूमि पर काश्त कर लेते है तथा
हमेशा से ही भूमि के सेढे बाबत विवाद से बचने के लिये पक्की नेखमबन्दी करवाना
चाहते है। रेस्पोडेन्ट से उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया था तब अपीलान्ट ने
सीमाज्ञान पर आपत्ति की, तब रेस्पोडेन्ट द्वारा पक्की नेखमबन्दी हेतु आवेदन किया
है जो गलत तथ्य अंकित करते हुए किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा नेखमबन्दी का आवेदन स्वीकार किये जाने पारित अपीलाधीन आदेश विधि
विपरित एवं त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिक रूप से नोटिस तामील नहीं
करवाया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक
प्रकिया के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने
... मतजा में भेजा गया जबकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

यह हाथीसिंह का गांव में निवासरत है। पीथाराम के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान पपाराम
पुत्र अनोपाराम निवासी– गूंगा को दिनांक 6.3.2012 को कर दिया लेकिन रेस्पो0 ने
जान–बूझकर पपाराम को पक्षकार नहीं बनाया। पपाराम ने दिनांक 27.3.12 को ही
मांगाराम पुत्र चेतनराम अपीलान्ट को बेचान कर दिया उसके बावजूद भी मांगाराम
को पक्षकार नहीं बनाया। पडौसी ख0सं0 323/118 के खातेदार कैलाशसिंह को भी
पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि अपीलान्ट मांगाराम व कैलाशसिंह मौके पर अपनी
आवंटित भूमि ख0सं0 323/218 व 289/110 पर काबिज काश्त हैं। रेस्पोडेन्ट का
ख0सं0 287/110 व 288/110 पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है।
रेस्पोडेन्ट ने न ही भूमिधारी तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार बनाया गया। ऐसे में
पडौसी खातेदारान को बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किये गये नेखमबन्दी के आवेदन
त्रुटिपूर्ण था और अस्वीकार करने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट
को अपना जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया और न ही उनकी
सुनवाई की गई। वादग्रस्त खसरा भूमि की नेखमबन्दी करते वक्त ख0सं0
287/110 व अन्य आस–पडौस के खसरा नम्बरों के खातेदारों को कोई सूचना
नहीं दी न उन्हें बुलाया गया, मात्र कार्यालय में बैठकर मौका फर्द तैयार कर दी
गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की जमीन हडपने की नियती से नेखमबन्दी हेतु यह
आवेदन किया था जो अस्वीकार करने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी
प्रकरण में विधि अनुरूप आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सभी
तथ्यों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा उक्त खसरान भूमि की
पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह कथन
किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट
का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मतूजा
उनकी खातेदारी के खसरा नंबर 287/110 रकबा 22.10 बीघा आई हुई है जो
विप्रार्थीगण के खेत के सेढासेढ आई हुई है। रेस्पोडेन्ट व अन्य पडौसी खातेदारों के
खेतो के बीच में किसी प्रकार की कोई कच्ची/पक्की माठे या कोई सीमाचिन्ह नहीं
होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सेढा बाबत तनाजा व जबरदस्त विवाद रहता है
एवं बरसात के समय काश्त में हस्तक्षेप कर भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है
जिससे लडाई की आशंका बनी रहती है। इस विवाद से बचने के लिये रेस्पोडेन्ट
अपनी खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है अतः उक्त
खसरान भूमि की नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ
न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण खीमाराम, पीथाराम,
रायमलसिंह को नोटिस जारी कर तलब किया, परन्तु बावजूद नोटिस तामीली के
अनुपस्थित रहे है। अपीलान्ट तत्समय में पडौसी खातेदार नहीं होने के कारण उसे
[illegible] अपीलाधीन आदेश

जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 6.7.2016 के विरूद्ध वर्ष 2022 में यह अपील पेश की गई है जिसे कन्डोन किये जाने हेतु म्याद प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया है जिसे विलम्ब को क्षमा किया जावें। उक्त खसरान भूमि के अपीलान्ट के पूर्व खातेदार व्यक्ति पीथाराम को आवश्यक पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2016 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त खातेदारी खसरान भूमि की नेखमबन्दी करने का जो आदेश पारित किया, वह बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट एक पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर न कि स्वयं खातेदार है। मांगाराम की स्वयं की भूमि पर कब्जा है। धारा 183(बी) के तहत वाद दायर होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही होने पर अतिक्रमी भी घोषित किया गया है। अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है क्योंकि उनके पूर्व खातेदार पीथाराम को आवश्यक बनाया जाकर उनको नोटिस जारी कर तलब किया जा चुका था परन्तु वे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करने के आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील पेश हेतु अनुमति प्रदान किये जाने बाबत प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम बाबत अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 06.07.2016 का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार ग्राम मतूजा मे खंसरा नम्बर 287/110 की भूमि पर पड़ोसी खातेदार खंसरा नम्बर 289/110, 323/218 द्वारा तारबंदी कर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही है, जब भूमि पर कब्जा ही नही है तो धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कब्जा प्राप्त नही किया जा सकता है, रेस्पोडेन्ट को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया व सुसंगत प्रावधानो के तहत कब्जा प्राप्त किए जाने हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही की जानी चाहिए। साथ ही पडोसी खातेदारान द्वार भूमि का बैचान भी पूर्व मे किया जाना प्रतिवेदित किया है ऐसी स्थिति मे हितबद्ध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06-07-2016 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26-5-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर